रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या- 1016/2025/628/22-2-2025-17(429)/2025
लखनऊ: दिनांक: 12 अगस्त, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश(बन्दी संख्या-103/2023) पुत्र श्री रामचन्द्र, सुजावलपुर, थाना-गंगीरी (वर्तमान थाना-सिकन्दरा राऊ), जनपद-हाथरस, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-285 व 429/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 ए एक्ट के अर्न्तगत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 21.02.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.09.2012 द्वारा अपील निर्णित करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 14.01.2025 तक 21 वर्ष, 07 माह, 20 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष, 04 माह, 24 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा, आयु 56 वर्ष, 10 माह, 23 दिन होने एवं जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1016/2025/628(1)/22-2-2025 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
5- पुलिस अधीक्षक, हाथरस।
6- अधीक्षक जिला कारागार, लखनऊ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 एवं रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-103/2025 रमेश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in